कन्या भ्रूण हत्या से बिगडता लिंगानुपातः एक तथ्यान्वेषण

*विकम यादव

कन्या भ्रूण हत्या समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव की सामाजिक सोच की विद्रूपता को दर्शाता है। जो आज भी अनेक रूपों में सतत विद्यमान है। जहां हम बालिका को कन्या या देवी मानकर पूजते हैं वहीं देवी को पैदा होने से पहले गर्भ में समाप्त करने में भी नहीं झिझकते। आज यदि समय रहते समाज में जागरूकता नहीं आयी तो बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। महिला व पुरुष संतुलन खतरनाक स्तर तक बिगड़ जाएगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या अशिक्षा के कारण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाती है जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या समाज के संभ्रात, समृद्ध व (तथाकथित) शिक्षित तबकों में ज्यादा देखी जा सकती है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार कारणों में पुत्र प्राप्ति की लालसा सबसे प्रमुख है। आज भी समाज की सोच पितृसत्तात्मक है जहां बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है और बेटी को पराया धन। धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार बेटे को ही माता–पिता के अंतिम संस्कार व पिण्डदान का अधिकारी माना गया है। बेटी न चाहने अर्थात् कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार अन्य कारणों में दहेज की समस्या, छोटे परिवार का मानक, सोनोग्राफी द्वारा (अल्ट्रा साउण्ड) भ्रूण लिंग की जांच की आसान उपलब्धता एवं गर्भपात की आसान प्रक्रिया, चिकित्सकों की धनलोलुपता, व कन्या भ्रूण हत्या को सामाजिक स्वीकार्यता आदि प्रमुख हैं।

भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 की पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। विश्व स्तर पर लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को बताता है। 2001 की भारत की जनगणना के लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं जो कि 1991 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 927 महिलाओं की तुलना में थोड़ा सुधरा है। भारत में गिरते बालिका लिंगानुपात की सूची में राजस्थान का 7वां स्थान है। पूरे देश में ही 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बेटियों की संख्या में कमी आई है। कुछ राज्यों में हालत अधिक चिन्ताजनक है जहां बालिका लिंगानुपात की स्थिति खराब से बदतर हुई है। जैसे 1991 की जनगणना के अनुसार पंजाब में बालिका लिंगानुपात 875 था जो कि घटते हुए 2001 में 798 रह गया है। केवल केरल, पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप में 1991–2001 के बीच बालिका लिंगानुपात में बढ़ोतरी की प्रवृति देखी गई है। राजस्थान के कुल 32 जिलों में से 21 जिलों में बालिका लिंगानुपात गिरा है। जहां एक ओर वयस्क लिंगानुपात बढ़ा है वहीं बालिका लिंगानुपात घटा है।1991 के सेन्सस में बालिका लिंगानुपात 916 था। 2001 में यह 909 रह गया है। यहां पर भी शहरी बालिका लिंगानुपात 886 व ग्रामीण बालिका लिंगानुपात 914 पाया गया। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 1901 में जनसंख्या में 40 लाख महिलाओं की कमी थी जो 2001 में 3.5 करोड़ गई है। (स्रोत :– सेन्सस ऑफ इंडिया –1991, सेन्सस ऑफ इंडिया –2001)

कन्या भ्रूण हत्या क्या है –

''कन्या भ्रूण हत्या, गर्भावस्था के दौरान कन्या भ्रूण को हटा देना या निकाल देना है।''

अधिकांशतः गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। भ्रूण के लिंग की जांच कराना या जांच कराने के लिए माता को उकसाना या दबाव डालना या जांच के लिए ले जाना अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के विरूद्ध कानूनी सजा के निम्नांकित प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए :

. प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष तक का कारावास तथा 50,000/– तक जुर्माना।

. दुबारा दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास तथा 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

. डॉक्टर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही चलेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल काउन्सिल को उस डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजेगा। जब तक मामला विचाराधीन हो और मामला तय न हो जाये तो संबंधित डॉक्टर का पंजीकरण स्थगित किया जा सकता है।

. यदि डॉक्टर दुबारा दोषी पाया गया तो हमेशा के लिए मेडिकल काउंसिल की सदस्यता खो देगा। (स्रोत :– पी. सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 2003) से श्योपुराकस्सी (श्रीगंगानगर) मां की अर्थी को कंधा देकर बेटे का फर्ज निभाने

परियोजना अधिकारी, श्योर बाडमेर/जयपुर

वाली बेटियों पवनदीप व नवनीत कौर को समाज ने पगड़ी पहनाकर बेटे का दर्जा दे दिया। हरजिंद्र सिंह की पत्नी हरभजन कौर के स्वर्गवास के बाद सहज पाठ का भोग रविवार को डाला गया। सिख समाज की परंपरा के अनुसार बेटे के सिर पर पगड़ी रखकर उसे परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। (स्रोत :– दैनिक भास्कर, सोमवार 27 अगस्त, 2007 से)

कई गांवों में इन प्रयासों के चलते अनेक सुखद परिणाम सामने आये हैं। जैसे– गांव रायपुर जाटान में कृष्णा की मुलाकात हुई चन्द्रकला से जिसके घर में एक बेटी थी और वह दूसरी बार गर्भवती थी। बेटा पैदा करने की प्रबल लालसा और परिवार की पुत्र इच्छा के दबाव में चन्द्रकला चिन्ता में डूबी हुई थी और लिंग जाँच कराने का निश्चय कर चुकी थी। कृष्णा के लिए यह एक चुनौती थी। लेकिन बराबर समझाइश के फलस्वरूप चन्द्रकला के पति और परिवारजनों को आभास हुआ कि लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या कानूनी जुर्म ही नहीं अपितु जधन्य सामाजिक अपराध भी है। कृष्णा ने उस चिकित्सक से भी बातचीत की तथा पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी कानून के बारे में समझाया, जिसके पास चन्द्रकला ने जाने की योजना बनाई थी। परिवार में दूसरी बेटी आई और उसे सहर्ष स्वीकारा गया। उसका नाम रखा गया 'ज्योति'। आज परिवार में 9 माह की ज्योति की किलकारिया गूंज रही है। चारों ओर रोशनी फैल रही है । (स्रोत :– मेरे सामाजिक सरोकार – मेरी डायरी से – डॉ. मीता सिंह, आई.एफ.ई.एस., डिगनिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम),

राजस्थान कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय–

. बेटी को बेटे की तरह शिक्षा व आर्थिक स्वावलंबन के पूरे अवसर देने की बात का प्रचार–प्रसार करना होगा।

. दहेज प्रथा को निरूत्साहित करना होगा।

. अहोई अष्टमी, बछवारस आदि व्रत/उपवास जो कि बेटे की मां होने पर ही किए जाते हैं, को निरूत्साहित किया जावे।

. बिगड़ते लिंगानुपात के मुद्दे पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

. पीसी एण्ड पीएनडीटी (Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Techniques½ o ,eVhih ¼Medical Termination of Pregnancy) कानून की जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जावे।

. अल्ट्रासाउण्ड़ करने वाले क्लिनिकों के रजिस्ट्रेशन व रिकॉर्ड की जांच की जावे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी पर तत्काल कार्रवाई की जावे।

. विद्यालयों, महाविद्यालयों व ग्राम सभाओं आदि में कार्यशालाओं, नुक्कड़ नाटकों, गीतों आदि के माध्यम से जन मानस को कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध चेताया जावे।

. ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जावे जिनसे जेंडर भेदभाव पनपता हो।

हमारे समाज में असंख्य लोग जन्म से पहले ही कन्या को इस संसार में आने से वंचित कर देते हैं। बच्चे का लिंग जानने के लिए भ्रूण परीक्षण करवाते हैं और जैसे ही पता लगता है कि भ्रूण एक कन्या का है तो उसकी हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इसका परिणाम ही है कि राजस्थान में 1000 बालकों पर 909 बालिकाएं हैं। इस प्रकार गिरता लिंगानुपात खतरे की घंटी बजा रहा है। साथ ही पीसी/पीएनडीटी कानून का उल्लंघन भी हो रहा है। हमें कन्या भ्रूण हत्या को निरूत्साहित करना चाहिए, कन्या के महत्व को समझना चाहिए ताकि कन्या की गरिमा को स्थापित किया जा सके। चाहे माध्यम कोई भी हो, भले हि वह व्याख्यान, प्रशिक्षण, वादविवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, कविता, फिल्म, पोस्टर, रैली, नारा लेखन, मेला, शपथ अभियान आदि हो कोई भी हो। आज आवश्यकता है, कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध एक सशक्त अभियान चलाने की। जागृति लाने की। ताकि यह जन आंदोलन बने और समाज की रुढिगत मानसिकताओं को बदल सके। जिसके परिणामस्वरुप कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण हो सकेगा और क्रमशः बालिका लिंगानुपात भी संतुलित हो सकेगा। साथ हि हम यह शपथ लें की लैंगिक जॉच परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या ना तो करवाएंगे और ना ही ऐसा होने देंगे।" इस चिंताजनक स्थिति का सामना करने के लिए स्वैच्छिक एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेकों प्रयास किये गये हैं। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए हम सभी को भागीदारी करनी होगी और अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब चीन की तरह भारत में भी लडकियों की खरीद फरोख्त और गुण्डागर्दी बढ़ जायेगी।